

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जारायगी वनाम जमनी

किरम मुकदमा 31-45 111-12-7 नं. 106 सन 2020

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
18	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25-8-20</p>	
5	<p>उपरोक्त न्यायिक कार्य को वाद में अहकाम पत्रावली / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन वाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण को कितनी भर्तवा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं वकील प्रार्थीगण में बहस करकी-वाही। बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय धूपकसे लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के साथ शुभारंभ लेख नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>	



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गोटासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 106/20 प्रा.पञ्ज

आराजी पुत्री अमरा गाडरी परिण. सरंदाडु मारा श्रीमती रामू पं० अमरा गाडरी
निवासी - काशीराम जी की रपेडी तहसील - माण्डल
श्रीमती रामू पं० अमरा गाडरी निवासी - काशीराम जी की रपेडी तहसील - माण्डल
-प्रार्थी

बनाम

- आमनी पुत्री लालु कुमावत निवासी - काशीराम जी की रपेडी तहसील - माण्डल
- राजपान शण्प परिण तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15.09.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
या कि ग्राम काशीराम जी की रपेडी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके
ते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1136/102 कुल किता 01 रकबा 01
गा. विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह
होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते
भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.09.20 को पंजीबद्ध किया जाकर
रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कारत कारत की होने से
पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की
-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को
ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम
जी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की
राजी नं. 1136/102 कुल किता 01 रकबा 01
गा. विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये
जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमास 400/-
पये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा
रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये
खते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की
जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा